

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद  
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 27 / 2021

तारीख दावरा 02.03.2021

सनवान

1. प्रभूलाल पुत्र भंवरलाल जाति भीणा
2. कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल जाति भीणा।
3. मोतीलाल पुत्र भंवरलाल जाति भीणा निवासीगण ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा।  
— वादीगण

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल उम्र 85 वर्ष जाति भीणा निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. रामपाल पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल उम्र 68 वर्ष जाति भीणा निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद हाल मुकाम हींगोनिया तहसील कनवास जिला कोटा।
3. कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सांगोद।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण)

दिनांक :- 05.01.2022

श्री अमित पांचाल (वकील प्रतिवादी सं. 2)

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 एक ही परिवार की सदस्य है तथा जिनका पारिवारिक शजरा वाद पत्र में वर्णित है। माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील

सांगोद जिला कोटा के खाता संख्या नई 137 के खसरा नं. 133 की 0.72 है0, खसरा नं. 134 की 0.01 है0, खसरा नं. 135 की 0.64 है0, खसरा नं. 136 की 0.08 है0, खसरा नं. 137 की 0.34 है0, खसरा नं. 146 की 0.37 है0, खसरा नं. 147 की 0.14 है0, खसरा नं. 148 की 0.02 है0, खसरा नं. 149 की 0.01 है0, खसरा नं. 150 की 0.17 है0, खसरा नं. 151 की 0.63 है0, खसरा नं. 152 की 0.02 है0, खसरा नं. 31 की 0.04 है0, खसरा नं. 32 की 0.04 है0, खसरा नं. 33 की 0.90 है0, कुल किता 15 की कुल 4.13 हैक्टर आराजीयात स्थित है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी कम 3 सरकारी भूमि विकास बैंक शाखा सांगोद के नाम से दर्ज है, जिसके पुराने खसरा नं0 24 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नं0 29 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 किता की 25 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित रही है, जिसमें खसरा नं0 24 के 2 बटा नम्बर बनकर 24/1 व 24/2 बने हैं, जिसका मिलान क्षेत्रफल साथ संलग्न है जो वादीगण के पिता भंवरलाल व दादी मथुराबाई के 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 उनकी माता गंगाबाई के 1/2 हिस्सा आराजी खाते दर्ज रही है। नकल सम्बत 2031 से 2034 साथ संलग्न है।

वादी के पिता भंवरलाल व दादी मथुराबाई तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 तथा माता गंगाबाई द्वारा अपनी आराजी का विकास कराने के लिए तथा आराजी में सिंचाई की व्यवस्था हेतु कुआं खुदवाया था, जिसके लिए रूपयों की जरूरत होने से उन्होंने उक्त आराजी को प्रतिवादी नं0 3 के यहां रहन रखकर राशि प्राप्त की थी तथा कुआं खुदवा लिया गया था। लेकिन तत्कालीन वेषम परिस्थितियां हो जाने व अकाल आदि पड जाने व कमाई का अन्य कोई साधन नहीं होने के कारण वादीगण के पिता व दादी तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 उनकी माता उक्त रहन राशि को जमा कराने में असफल रहे जिससे प्रतिवादी कम 3 द्वारा राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 की धारा 06/117-118 के अन्तर्गत कार्यवाही कर आम नीलामी में अन्य केताओं के अभाव में प्रतिवादी नं0 द्वारा अपनी राशि की एवज में खसरा नं0 24 की 17 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नं0 29 की 8 बीघा बिस्वा कुल 25 बीघा 10 बिस्वा का 23/32 वां हिस्सा कय कर लिया, जिसका नामान्तरण खुलाने के लिए तहसील में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा नामान्तरण सं0 76 दिनांक 13.12.1978 से नामान्तरण खोला गया। नामान्तरण 23/32 हिस्से का होना था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की टिवश गलती से सम्पूर्ण आराजी का ही नामान्तरण प्रतिवादी नं0 3 के नाम दर्ज हो गया तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात हमेशा से ही वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 मौके पर पूर्वजों के समय शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में भी स्वयं वादीगण व प्रतिवादीगण 0 1 व 2 का ही कब्जा काश्त है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 3 का नाम दर्ज होने से वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को अपने अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने व सरकार से मिलने वाली मुआवजा व अन्य सहायता राशि में भी वंचित होना पड रहा है, जिससे वादीगण को काफी आर्थिक व मानसिक क्षति भी हो रही है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के पास रूपशे की अवस्था होने पर वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी कम 3 से लिया गया ऋण शक्ति को जमा करके रसीद प्राप्त कर ली तथा जिसके उपरान्त प्रतिवादी नं० 3 के प्रधान कार्यालय कोटा सहकारी ग्रामि विकास बैंक लि० कोटा द्वारा दिनांक 04.03.2020 को क्रमांक 11295-300 दिनांक 04.03.2020 को संशोधित खातेदारी हस्तान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया और पूर्व खातेदारान के हक में खातेदारी दर्ज करने की अपनी सहमति देकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। जिसके बाद प्रतिवादी नं० 3 के द्वारा भी दिनांक 03.02.2021 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। जिसके बाद वादीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय सांगोद के यहां उक्त दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्र ले जाकर उसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को वापस वादीगण के पिता भंवरलाल व दादी मथुराबाई के स्थान पर वादीगण का तथा प्रतिवादी नं० 1 व 2 के हक में नामान्तरण दर्ज करने का निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय द्वारा मौखिक रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की बात कहकर न्यायालय से घोषणा करवाने के लिए कहकर नामान्तरण खोलने में अपनी असमर्थता जाहिर की। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी नं० 3 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी को वापस वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं० 1 व 2 का 1/2 हिस्सा की अपने अपने हक में घोषणा करवावे। जिसके लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही वादीगण की दादी मथुराबाई व पिता भंवरलाल तथा प्रतिवादी नं० 1 व 2 की माता गंगाबाई की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 ही विधिक वारिस होने से वादीगण के हक में 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं० 1 व 2 के हक में 1/2 हिस्से की घोषणा करवाना आवश्यक हुआ है। जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है।

अतः माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता संख्या नई 137 के खसरा नं. 133 की 0.72 है०, खसरा नं. 134 की 0.01 है०, खसरा नं. 135 की 0.64 है०, खसरा नं. 136 की 0.08 है०, खसरा नं. 137 की 0.34 है०, खसरा नं. 146 की 0.37 है०, खसरा नं. 147 की 0.14 है०, खसरा नं. 148 की 0.02 है०, खसरा नं. 149 की 0.01 है०, खसरा नं. 150 की 0.17 है०, खसरा नं. 151 की 0.63 है०, खसरा नं. 152 की 0.02 है०, खसरा नं. 31 की 0.04 है०, खसरा नं. 32 की 0.04 है०, खसरा नं. 33 की 0.90 है०, कुल कित्ता 15 की कुल 4.1 हैक्टर आराजीयात में प्रतिवादी नं० 3 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्ववत खातेदारी के हक में तथा पूर्व खातेदार वादीगण की दादी मथुराबाई व पिता भंवरलाल व प्रतिवादी नं० 1 व 2 की माता गंगाबाई की मृत्यु की घोषणा करते हुए उपरोक्त आराजी के 1/2 हिस्से की वादीगण के हक में एवं 1/2 हिस्से की प्रतिवादी नं० 1 व 2 के हक में खातेदारी घोषणा की जाकर घोषणा डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी नं० 3 का नाम राज रिकार्ड से हटाकर अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी सं. 1 व 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से वकील श्री अभित पांचाल द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 3 सचिव कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लि० द्वारा संशोधित खातेदारी हस्तान्तरण प्रमाण पत्र क्रमांक/रिकवरी/सत्र/11295-300 दिनांक 4.3.2020 प्रस्तुत किया जिसके अनुसार श्री भंवरलाल पुत्र गोविन्द, मथुरी बाई बेवा गोविन्द, रामकल्याण, रामपाल पुत्र भैरूलाल मीणा, गंगा बाई व भैरूलाल मीणा द्वारा बैंक की राशि जिसकी वसूली के लिए विवादित भूमि बैंक द्वारा क्रय की गई थी, समस्त राशि मय ब्याज एवं अन्य लेनदारियों से भूमि वापस प्राप्त करने हेतु बैंक मैज मां रखा दिये हैं। अतः बैंक के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 12.08.1997 के निर्णयानुसार उक्त विवादित भूमि वापस पूर्व के खातेदारों के नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके बाद अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की। प्रकरण में इकबाली जवाब प्रस्तुत होने के कारण तनकी अमल करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, इकबाली जवाब दावा, कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लि० शाखा सांगोद के संशोधित खातेदारी हस्तान्तरण प्रमाण पत्र, वादीगण की दादी मथुराबाई व पिता भंवरलाल व प्रतिवादी नं० 1 व 2 की माता गंगाबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि—

माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता संख्या 137 के खसरा नं. 133 की 0.72 है०, खसरा नं. 134 की 0.01 है०, खसरा नं. 135 की 0.64 खसरा नं. 136 की 0.08 है०, खसरा नं. 137 की 0.34 है०, खसरा नं. 146 की 0.37 है०, खसरा 147 की 0.14 है०, खसरा नं. 148 की 0.02 है०, खसरा नं. 149 की 0.01 है०, खसरा नं. 150 की 0.02 है०, खसरा नं. 151 की 0.63 है०, खसरा नं. 152 की 0.02 है०, खसरा नं. 31 की 0.04 है०, खसरा नं. 32 की 0.04 है०, खसरा नं. 33 की 0.90 है०, कुल कित्ता 15 की कुल 4.13 हैक्टर जीयात में वादीगण प्रभुलाल, कन्हैयालाल, मोतीलाल पुत्रान भंवरलाल को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 रामकल्याण पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल एवं प्रतिवादी सं. 2 रामपाल पुत्र भेरिया उर्फ रामपाल को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में वाद पत्र रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक

वार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

उपखण्ड मैजिस्ट्रेट  
(अजना सहयावत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड मैजिस्ट्रेट  
(अजना सहयावत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तादाई

आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 02.03.2021

करण संख्या : 27 / 2021

उनवान

1. प्रभूलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा
2. कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा।
3. मोतीलाल पुत्र भवरलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा।  
- वादीगण

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल उम्र 85 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. रामपाल पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल उम्र 68 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद हाल मुकाम हींगोनिया तहसील कनवास जिला कोटा।
3. कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सांगोद।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।  
- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

पस्थित :-

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण)

श्री अमित पांचाल (वकील प्रतिवादी सं. 2)

दिनांक :- 05.01.2022

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री सुशील कुमार शर्मा मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि-

माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता संख्या नई 17 के खसरा नं. 133 की 0.72 है0, खसरा नं. 134 की 0.01 है0, खसरा नं. 135 की 0.64 है0, खसरा नं. 136 की 0.08 है0, खसरा नं. 137 की 0.34 है0, खसरा नं. 148 की 0.37 है0, खसरा नं. 147 की 0.14 है0, खसरा नं. 148 की 0.02 है0, खसरा नं. 149 की 0.01 है0, खसरा नं. 150 की 0.01 है0, खसरा नं. 151 की 0.63 है0, खसरा नं. 152 की 0.02 है0, खसरा नं. 31 की 0.04 है0, खसरा नं. 32 की 0.04 है0, खसरा नं. 33 की 0.90 है0, कुल किता 15 की कुल 4.13 हैक्टर राजीयात में वादीगण प्रभुलाल, कन्हैयालाल, मोतीलाल पुत्रान भंवरलाल को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 रामकल्याण पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल एवं प्रतिवादी सं. 2 रामपाल पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में रजिस्टर रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक पर प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंशुभा मजिस्ट्रेट)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

य आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंशुभा मजिस्ट्रेट)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद